Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 22.05.2017

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for Division of Animal Genetics and Breeding of the Institute for grazing, security and maintaince of goats at Goat sector** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/5
Date and Time for issue/Publishing	22-05-2017, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	24-05-2017, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	29-05-2017, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	12-06-2017, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	14-06-2017, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – ₹ 1000/- Earnest money – ₹15000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1,000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of TIN/TAN Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

निविदा प्रपत्र सूची

संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों/मेमनों को चराने, सुरक्षा करने एवं उनकी देखभाल करने आदि से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के बकरी सेक्टर पर बकरियों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल आदि से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा एक से अधिक कार्मिक चाहने पर उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान को उपलब्ध करवाऊँगा तथा मैं प्रभारी, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

<u>संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों/मेमनों को चराने, सुरक्षा करने एवं उनकी देखभाल करने आदि से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने की नियम व शर्ते</u>

1. **अनुबन्ध की अवधि 01.07.2017 से 30.06.2018 तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है।** यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। **निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।**
3. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की व उसके आस पास की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी। साथ ही सेक्टर के आस–पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुये प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की सुरक्षा करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देगा।
4. सैक्टर के अन्तर्गत सभी जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी साथ ही सैक्टर पर स्थित/रखी हुई संस्थान की स्थायी एवं अस्थायी सम्पति की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी। सैक्टर पर कुल बकरियों/बकरों की अनुमानित संख्या 650 होगी जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय–समय पर कम या अधिक हो सकती हैं।
5. सैक्टर पर ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता द्वारा एक सुनिश्चित योग्य स्थायी एवं अनुभवी मुखिया उपलब्ध कराना होगा ताकि उसे सैक्टर पर बकरियों के कार्य में लगे श्रमिको की जिम्मेदारी दी जा सके एवं रोजाना के कार्य भी बताए जा सके।
6. सैक्टर के आस–पास आवारा पशु नहीं होने चाहिए।
7. जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगाः–

(1) माह अप्रेल से अगस्त तक	प्रातः 6–30 बजे से सायं 6–30 बजे तक
(2) माह मार्च एवं सितम्बर	प्रातः 7–30 बजे से सायं 6–00 बजे तक
(3) माह अक्टूबर से फरवरी तक	प्रातः 8–00 बजे से सायं 6–00 बजे तक

8. जानवरों को सैक्टर पर केवल आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने व सैक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्यो के लिये प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार लाना होगा।
9. जानवरों को सिर्फ संस्थान परिसर में निर्धारित चरागाह क्षेत्र में ही चराना होगा। जानवरों को संस्थान के चरागाह क्षेत्र के अलावा अन्य चरागाह में बिना सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की अनुमति के नहीं ले जाया जायेगा। जंगली जानवरो से बचाव के लिए रेवड़ के साथ अतिरिक्त आदमी लगाने होगें ।
10. किडिंग के बाद बच्चो की देखभाल, बकरियों का दुध निकालने का काम (सुबह–शाम), छोटे बच्चो की सुरक्षा तथा जानवरों के ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग मे सहायता इत्यादि कार्यों में कुल ग्रेंजिंग एंव देखभाल सुरक्षा के अतिरिक्त मजदूर उपलब्ध करवाने होंगे।
11. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी। यदि अनुबन्धकर्ता के आदमियों की असावधानी से या बिमारी की सूचना समय पर न देने से जानवर की मृत्यु हो जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। उसका हर्जाना जो भी किताबी कीमत होगी भरना पड़ेगा। बकरीयों की चराई संतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल मे से वजन के अनुपात में कटोती की जायेगी।
12. जानवरों को जंगल में होने वाली अचानक हिंसात्मक समस्या या घटना को रोकने के लिये अनुबन्धकर्ता को चराई एवं देखभाल आदि कार्य हेतु कुशल, अनुभवी, शारीरिक रूप से हष्ट–पुष्ट एवं मानसिकरूप से स्वस्थ श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो को लगाना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्वाले जानवरों को चराते समय सतर्क रहें।
13. चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/चोकीदारों की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरें स्थान पर भी रखे जा सकते है तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
14. सैक्टर पर स्थित बकरियों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी तथा बकरियों के खो जाने या चोरी हो जाने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। जंगली जानवरों द्वारा बकरियों/बकरों का शिकार हो जाने पर, सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंषा पर बकरियों/बकरों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी। खोने/चोरी हो जाने की स्थिति मे जानवरों की किताबी कीमत का **दो से पांच गुना** हर्जाना भरना पड़ेगा, तथा इस हर्जाने की राशि को 15 दिन की निश्चित अवधि में जमा कराना होगा अन्यथा यह राशि को उनके देय बिल मे से काट ली जायेगी।

15. किसी भी बकरी/बकरे/मेमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चीरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाडी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नही होने पर मृत जानवर को पोस्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।

(क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकडने के लिए जरूरी सहायता भी अनुबन्धकर्ता को देनी होगी। बकरियों में लगाये गये श्रमिक एक माह से कम नही लगाये जायेंगे तथा बकरियों के रेवड में चरवाहे कम से कम बदले जावेगें। यदि बकरियों की समुचित अच्छी चराई नही होती हैं तथा निर्धारित वजन कम होता है तो निर्धारित चरवाहे के रेवड की कटोती की जावेगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।

(ख) यदि प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है उस समय अलग–2 प्रयोगात्मक कार्य के लिये अलग व्यक्तियों की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी पडेगी जो कि सामान्य दैनिक कार्यो से अलग होगी।

18. सैक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नही रख सकेंगे ।

19. बकरियों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं बकरी एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।

20. बकरियों/बकरों को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ–2 समयानुसार पेडों की छंगाई करके पत्तियां भी खिलानी होगी। पेड़ों की छंगाई उचित रूप से करनी होगी तथा जब कभी जानवरों को दाना/चारा आदि देना हो तो यह कार्य भी अनुबन्धकर्ता को अपने श्रमिकों के द्वारा ही डलवाना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

21. सैक्टर पर आपूर्तित चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना होगा।

22. मादा रेवड को नर के रेवड़ से अलग चराना एवं रखना होगा। मेंमनों/बच्चो के रेवड 3 माह से 18 माह तक के नर एवं मादा को भी अलग–2 चराना होगा। बकरी को चराने की व्यवस्था सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के दिशानिर्देशानुसार एवं निम्न प्रकार से करनी होगीः–

(क) **<u>बकरियों/बकरों के रेवड निम्न प्रकार होगेंः–</u>**

(अ) ब्याई हुई बकरियों (ब) ग्याबिन बकरियों (स) बिना ब्याई बकरियों (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार) (य) नर रेवड

(ख) किसी भी रेवड में 125 सें अधिक जानवर होने पर दो आदमी/श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें। ब्याई हुई बकरियों के किसी भी रेवड में अधिकतम संख्या 100 तक ही रखनी होगी।

(ग) किसी भी हालत मे नर रेवड को मादा रेवड में नही मिलाया जायेगा। यदि नाजायज मेंमना/बच्चा पैदा होता है तो उसकी जुर्माना राशि रू0 1200.00 प्रति बच्चा नाजायज जुड़वा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी।

(घ) रेवड़ों की चराई के लिये लगाये गये आदमियों से सेक्टर के अन्य रोजमर्रा के कार्य नहीं लिए जायेंगे। दूसरे कार्यो के लिए अलग से आदमी लगाने होगें।

23. बकरियों/बकरों/मेमनों के बाड़ों/ट्रफों की एवं चारे दाने की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी। उसके बाद ही दाना चारा खोलियों में डाला जायेगा ।

24. निम्नलिखित कार्यों के लिये अतिरिक्त श्रमिकों/मजदूरों की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी हैंः–

(क) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सैक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा।

(ख) बकरियों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। उक्त कार्य के लिये डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा। जानवरों को नहलाते समय लापरवाहीवश यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए उपरोक्त (निर्धारित) हर्जाना वसूल किया जावेगा ।

(ग) आवश्यकतानुसार बकरियों/बकरों के मेमना/बच्चों का वजन करवाना, जानवरों को पकड़ने में सहायता करना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुरों एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।

(घ) बकरियों के मदकाल की जांच के लिये सुबह व शाम को बकरों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार रेवड़ में छोड़ना होगा। मद में आई बकरियों कों अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित बकरियों को अलग करना होगा। नवजात मेंमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खूर कटवाना तथा गोदने के कार्य में भी सहायता करना/ करवाना होगा ।

(ङ) दाने को ट्रोली में भरकर सैक्टर पर खाली करना, बकरियों/बकरों के लिये चारे के सेड से चारा बाड़े मे लाना आदि। ब्याई हुई बकरी के बाडे में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के सेड की सफाई करनी होगी।

(च) वर्ष में कम से कम दो बार बकरियों सभी बाडों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिट्टी डालनी

होगी। बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी डालते समय बाडों में लगी हुई चेंनलिंक फेंन्सिंग को कोई नुकसान नही होना चाहिये यदि किसी तरह का नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल मे से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

(छ) ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को सेक्टर पर प्रभारी के निर्देशानुसार मेमनों को दूध पिलाने के उपरान्त शेष बचे दूध को निकालना एवं दूध निष्पादन करने वाले ठेकेदार को देना होगा।

25. अनुबन्ध की अवधी के दौरान सेक्टर पर स्थित पेड़–पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनकों पानी पिलाना होगा।
26. सैक्टर पर जानवरो को आंधी, तूफान, वर्षा व अधिक सर्दी से बचाव के लिये प्रभारी सैक्टर या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार बन्दोबस्त करना होगा तथा अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी मां दूध नहीं पिलाती हैं उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।
27. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबन्ध नही होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटोती भी अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।
28. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
29. अनुबन्धकर्ता या उसके प्रतिनिधि/मजदूरों द्वारा संस्थान की सम्पति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना होगा यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी सैक्टर को देनी होगी।
30. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।
31. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
32. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
33. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
34. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता हैं।
35. बकरियों/बकरों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
36. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
37. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा संस्थान में किसी प्रकार की चोरी /क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
38. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
39. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
40. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
41. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
42. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
20. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में

अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।

43. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
44. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
45. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
46. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
47. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान के बकरी सेक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों/मेमनों को चराने, सुरक्षा करने एवं उनकी देखभाल करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं